निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

*विद्याधर नगर (050) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधान सभा के लिए

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री नरपत सिंह राजवी (नाम) 72, गौरव नगर सिविल लाइन्स, जयपुर — 302006 (पता) ¹[जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त रिजस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए है। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान जयपुर तारीख 11.12.2018

(श्वेता सादब्रह्म) रिटर्निम अधिकाष्ट्रीसर

विधानसमा निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर (050) 50- विधानसमा क्षेत्र विद्याधर नगर 0

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in Genral Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951. *Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN (state/Unionterritory) from VIDHYADHAR NAGAR (050) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1951, I declare that-

Shri NARPAT SINGH RAJVI (Name) 72, GAURAV NAGAR, CIVIL LINES, JAIPUR-302006 (Address) ¹[sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from above constituency.

Place: JAIPUR Date: 11.12.2018

Returning Officer

Assembly constituency Vidhyadhar Nagar (050)

50- Assembly Constituency Vidhy Nagar